18.10.24 दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें वादी की हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखना उचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.8.2021 को प्रकरण के निर्णय/आदेश तक कायम किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.11.19 18:55:06 IST
Reason: SelfAttested